FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अदालत ....**सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)**, ... **गुड़ामालानी**............

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राणाराम पुत्र दासा उर्फ गणपत 2. प्रवीण कुमार पुत्र गणपत 3. नन्दी पुत्री दासा उर्फ गणपत पत्नी कैलाश 4. शांति पुत्री दासा उर्फ गणपत पत्नी कैलाश 5. ममता पुत्री दासा उर्फ गणपत पत्नी सहीराम 6. रक्षा पुत्री दासा उर्फ गणपत पत्नी विक्रम 7. धारू पुत्री दासा उर्फ गणपत पत्नी रमेश जाति हरीजन निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर		1. दासा उर्फ गणपत पुत्र मिसरा 2. ईसराराम पुत्र मकाराम 3. मोहनलाल पुत्र मकाराम 4. रामाराम पुत्र मकाराम 5. सवाराम पुत्र मकाराम 6. समदा पत्नी लालाराम 7. हरियों पत्नी नरसीराम 8. दुर्गाराम पुत्र सवाराम 9. भागीरथराम पुत्र सवाराम जाति गुरुडा साकिन सिन्धासवा चौहान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

मु0नं0...121/22

किस्म मुकदमा.....धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.07.2022	प्रार्थीगण राणाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री हरीश चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण दासा उर्फ गणपत वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का तहसील गुड़ामालानी के पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1784, 1786 रकबा कमशः 0.4694, 5.6251 हैक्टेयर की पैतृक खातेदारी में पैतृक हिस्सा घोषित कराने का पेश किया है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 के जायन्दा सन्तान है, तथा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त होने से प्रार्थीगण के हक जन्म से ही उक्त आराजी में निहित है, परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उनके पैतृक हकों से महरूम करने के लिये प्रार्थीगण के हक–हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है, तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पैतृक हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकिया दे रहे हैं। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित आराजी पैतृक होने की पुष्टि होती है। भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण के उक्त आराजी में हक निहित है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1784, 1786 रकबा कमशः 0.4694, 5.6251 हैक्टेयर भूमि का बेचान नहीं करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.08.2022 को पेश हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav K
Meena
Date: 2025.03.26 20:44:26 I
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुडामालानी

	बनाम	
पत्रावली संख्या		किस्म मुकदमा	

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	अतः उक्त आवेदन पक्षकारान सहमति के आधार पर जरिये डिक्री खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	(Signature) (Dealing Asst.)
	मुकर्रर:- इस प्रकरण में संयोजित प्रकरण क्र. 21/24 उनवान कैलाश बनाम लूणा में पृथक से कार्यवाही की जावे एवं इस आदेश की प्रति उक्त पृथक की गई पत्रावली के संलग्न की जावे। (Signature)	P. (Signature)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:44:26 IST
Reason: SelfAttested